



**आवंटनादेश**

सं०-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

भुवन कुमार,  
उप निदेशक,  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,  
बिहार, पटना।

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में कुल रू० 6,87,81,515/- (छः करोड़ सतासी लाख इक्कासी हजार पाँच सौ पन्द्रह रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-3/यो०स०क०-20/2022-10 दिनांक-13.04.2026 (संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में कुल रू० 45,06,30,000/- (पैंतालीस करोड़ छः लाख तीस हजार रूपये) मात्र के राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत राशि के आलोक में रू० 6,87,81,515/- (छः करोड़ सतासी लाख इक्कासी हजार पाँच सौ पन्द्रह रूपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उक्त आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में प्राप्त कुल उद्व्यय के आलोक में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त 33% की राशि अंतर्गत आवंटित की जा रही है।

3. भारित राशि की निकासी मांग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0119-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-0119.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड 51-2235021010119 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक-09.03.2026, 2956/वि० दिनांक-25.03.2026, 314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' के सामान्य घटक हेतु Axis Bank में खोले गये Parent



Account खाता सं०-923010072106524 IFSC Code-UTIB0000387 में राशि अंतरित की जायेगी। उक्त राशि से आवश्यकतानुसार जिलों को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' के सामान्य घटक हेतु जिलों में Axis Bank में खोले गये Child Account खाता में राशि Limit की जायेगी।

8. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है।

9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसे निदेशालय द्वारा महालेखाकार कार्यालय को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-271 के अनुसार BTC Form 42A में भेजा जायगा।

10. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.- 02 पटना, दिनांक:- 20.04.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार / सभी जिला कोषागार, पदाधिकारी, बिहार / आईटी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। (आवंटनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित)।

20.4.26  
उप निदेशक